भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5247

04.04.2022 को उत्तर के लिए

ग्रीन हाउस गैसें

5247. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल द्वारा हाल ही में दी गई चेतावनी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रीनहाउस गैसों में कमी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसी योजना है जिससे वैश्विक तापन वाले देशों के बायोस्फेयर, वायु मंडल और क्रायोस्फीयर में मानव निर्मित प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों को कम किया जा सके ?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) सरकार को इस मामले की जानकारी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) वर्तमान में अपने छठवें मूल्यांकन चक्र में है और अगस्त 2021 में ''जलवायु परिवर्तन 2021: भौतिक विज्ञान आधार'' नामक शीर्षक की कार्यकारी समूह-। के योगदान संबंधी रिपोर्ट जारी की है और फरवरी 2022 में ''जलवायु परिवर्तन 2022: प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता'' नामक शीर्षक की रिपोर्ट दी। भारत ने हमेशा ही इस बात पर ध्यान दिया है कि यद्यपि वह समाधान का हिस्सा बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है, विकसित देश एतिहासिक और वर्तमान दोनों ही मुख्य जिम्मेदारियों को वहन करते हैं और उन्हें अपने देशों में उत्सर्जन में भारी कमी के लिए तत्काल नेतृत्व करना चाहिए।

(ग) से (ड.) भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) और इसके क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) और पेरिस समझौते (पीए) का एक पक्षकार है। यूएनएफसीसीसी में एक पक्षकार के रूप में, भारत समय-समय पर यूएनएफसीसीसी को अपनी राष्ट्रीय संसूचनाएं और द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्टें प्रस्तुत करता है जिसमें राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) सूची शामिल हैं। भारत की द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भू-उपयोग, भूमि-उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) सहित वर्ष 2014 में भारत का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2306.3 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन था और तृतीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसर, वर्ष 2016 में भारत का निवल ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2531.07 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन था। विकासशील देश होने के नाते, यूएनएफसीसीसी के अनुसार भारत का उत्सर्जन अपनी सामाजिक और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ेगा। यद्यपि, उत्सर्जन से विकास को उत्तरोतंर अलग करने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में वर्ष 2005 तथा 2016 के बीच 24 प्रतिशत तक की कमी हुई है।

सरकार विज्ञापन और कानूनी उपायों के माध्यम से वायु प्रदूषण, अपशिष्ट का प्रबंधन, वनों का अवक्रमण, जैव-विविधता का नुकसान और भूमि/मृदा का अवक्रमण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं का समाधान करना चाहती है। राज्य सरकारों और अन्य सभी हितधारकों के साथ निकट सहयोग में विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापन संबंधी उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972; भारतीय वन अधिनियम 1927; जैविक विविधता अधिनियम 2002; प्रतिकरात्मक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 और इन अधिनियमों के तहत समय-समय पर यथासंशोधित नियमों और अधिसूचनाओं के माध्मय से विनियामक उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त भी, वायु प्रदूषण, अपशिष्ट, वनों के अवक्रमण, जैव-विविधता नुकसान और भूमि/मृदा अवक्रमण का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक पीएम 10 और पीएम 2.5 की सांद्रताओं में 20 से 20 प्रतिशत तक की कमी करने के लक्ष्य के साथ व्यापक तरीके से वायु प्रदूषण की समस्या का हल करने के लिए जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया था। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार कर ली गई है तथा लक्ष्य को प्राप्त न करने वाले 132 शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कार्यान्वयन के लिए शुरू की है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायते आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी प्रौद्योगिकियों और दिशा-निर्देशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाकर ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के बेहतर उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र की सहभागिता या किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान करेंगे।
- सरकार ने अनेक योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का जल संभर विकास घटक शामिल है जो भूमि संसाधनों के सतत और बेहतर उपयोग पर ध्यान देने के साथ अवक्रमित भूमि की 26 मिलियन हेक्टेयर की पुन:बहाली और भूमि अवक्रमण तटस्थता की प्राप्ति के लक्ष्य में योगदान देना है। इससे वनों और जैवविविधता को संरक्षित करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को आसान बनाने और कार्बन सिंक को सुधारने में मदद मिलेगी।
- जैव विविधता पर कन्वेंशन के अनुसरण में अधिनियमित जैव विविधता अधिनियम 2002, जिसका भारत भी एक पक्षकार है तथा जिसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और इन संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा करना है। अधिनियम को त्रि-स्तरीय संस्थागत प्रक्रिया अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य स्तर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

****